बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
पत्रांक : SHSB/ GA/NPCDCS/4669/2020/422 दिनांक : 29/4/2020

सेवा में,

अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार
निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना
सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय : राज्य मे COVID-19 रोगियों के उपचार एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के संबंध में।

प्रसंग : स्वास्थ्य विभाग का पत्र 12 (अ0स0को0) दिनांक 01.04.2020

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा COVID-19 के संक्रमितों के उपचार किये जाने से संबंधित सैद्धांतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है (प्रतियाँ संलग्न)। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से Quarantine Centers एवं Isolation-cum-Treatment Centres के स्थापना के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं जिनके अनुसार इन केन्द्रों को स्थापित किया जाना है।

2. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार COVID-19 रोगियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाना है :–

Group	Classification	Remarks
Group I	Confirmed cases clinically assigned as **mild and very mild**	Cases presenting with fever and / or upper respiratory tract illness (Influenza Like Illness- ILI)
Group II	Confirmed Cases clinically assigned as **moderate**	Cases presenting with Pneumonia with **No signs** of severe disease (Respiratory rate 15 to 30 per minute, SpO2 – 90% to 94%)
Group III	Confirmed cases clinically assigned as **severe**	Severe Pneumonia (with respiratory rate ≥ 30/minute and/ or SpO2 < 90% in room air) or ARDS or Septic Shock

3. मार्गदर्शिका के अनुसार तीन श्रेणी के Isolation-cum-Treatment Centers (यथा COVID Care Centers, Dedicated COVID Health Centers एवं Dedicated COVID Hospitals) चिन्हित कर विकसित किये जाने हैं। इन संस्थानों में उक्त तीनों वर्ग के रोगियों का प्रबन्धन तथा उपचार स्वास्थ्य विभाग के उक्त प्रासंगिक पत्र को आधार मान कर निम्नांकित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है :–

(I) **COVID Care Center :**

i) इन संस्थानों में Group I वर्ग के COVID के पुष्ट (confirmed) रोगियों की देखभाल की जानी है।

ii) इस प्रकार के संस्थानों को निजी अथवा सरकारी हॉस्टल, होटल, विद्यालय, स्टेडियम, लॉज इत्यादि में स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग का उक्त प्रासंगिक पत्र को संदर्भित किया जाय। आवश्यकता पड़ने पर Quarantine Centers को भी COVID Care Centre के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। जिन स्वास्थ्य संस्थानों में Non-COVID रोगियों का उपचार किया जा रहा है (यथा–अनुमण्डल अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं जिला अस्पताल इत्यादि) को अन्तिम उपाय के रूप में COVID Care Centre (CCC) के रूप में

विकसित किया जाय ताकि Non-COVID स्वास्थ्य सुविधायें जनमानस को निरन्तर दी जा सके।

iii) प्रयत्न किया जाय कि जब एक CCC की क्षमता पूर्ण होने लगे तब दूसरे CCC में रोगियों को भर्ती किया जाय।

iv) प्रत्येक COVID Care Centre के एक कक्ष में/ उपयुक्त स्थल पर Triage की व्यवस्था की जानी है जिसमें बी0पी0 instrument, Thermometer (preferably Infra Red), N95/ FFP2 एवं सर्जिकल मास्क तथा पी0पी0ई0 समुचित संख्या में उपलब्ध रहना है। इस हेतु दिनांक 27.04.2020 को सभी जिलों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित powerpoint presentation का संदर्भ ग्रहण किया जाय (प्रति संलग्न)।

v) COVID Care Centre में सभी कक्षों की सफाई प्रति दिन की जानी है।

vi) COVID Care Centres को एक या एक से अधिक COVID Health Centres और कम–से–कम एक Dedicated COVID Hospital से रोगियों के Referral हेतु tag किया जाय। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग का पत्र संख्या 54 /(अ0स0को0) दिनांक 05.04.2020 द्वारा निदेश दिये गए हैं (प्रति संलग्न)।

vii) प्रत्येक COVID Care Centre पर 24 X 7 आधार पर ऑक्सीजन Support के साथ एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स (BLSA) समर्पित होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर COVID रोगी का उच्च सुविधाओं के लिए ससमय Referral सुनिश्चित हो सके। Referral होने की अवस्था में संबंधित Dedicated COVID Health Center/ Dedicated COVID Hospital को दूरभाष पर सूचित कर दिया जाय।

viii) COVID Care Centre पर COVID रोगियों के सामान्य उपचार की समुचित व्यवस्था (ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, रक्त चाप उपकरण, तापमान मापने का यन्त्र, मास्क, ग्लवस, पी0पी0पी0 इत्यादि सहित) एवं आवश्यक दवायें उपलब्ध रहनी है। सभी रोगियों का बेड हेड टिकट अनिवर्यतः संधारित किया जाना है।

ix) सभी भर्ती रोगियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य के मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप vitals यथा Oxygen Saturation, Pulse, BP, Respiratory rate इत्यादि की जाँच प्रति दिन कम–से–कम चार बार की जाय।

x) COVID Care Centres पर रोगियों की 24 X 7 देख–भाल हेतु आयुष चिकित्सकों एवं स्टॉफ नर्स/ ए0एन0एम0 को तीन पालियों में प्रतिनियुक्त किया जाय। आयुष चिकित्सक, भर्ती रोगियों का कम–से–कम दिन में तीन बार परीक्षण करेंगे तथा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की देख–रेख में रोगियों का उपचार करेंगे। इन केन्द्रों हेतु एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा पदाधिकारी on call रहेंगे एवं दिन में कम–से–कम दो बार COVID Care Centers Visit करेंगे एवं वहाँ भर्ती सभी रोगियों के स्वास्थ्य देख–भाल एवं किये जा रहे उपचार की समीक्षा करेंगे। सभी आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स/ ए0एन0एम0 एवं एमबी0बी0एस0 चिकित्सा पदाधिकारियों का CCC संस्थानवार रोस्टर तैयार किया जाना होगा। COVID रोगियों के उपचार हेतु प्रोटोकॉल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। प्रत्येक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक से अपेक्षित है कि वह आवंटित केन्द्र में प्रतिनियुक्त आयुष चिकित्सक, स्टॉफ नर्स/ ए0एनप0एम0 एवं कार्यरत अन्य कर्मियों को COVID-19 रोगियों की देख–भाल एवं उपचार के संदर्भ में आवश्यक जानकारी/ प्रशिक्षण प्रदान करें। मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग के उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेश दिये गए हैं। इस आपदा की समाप्ति के उपरान्त की गई सभी प्रतिनियुक्तियाँ रद्द हो जायेंगी।

(II) **Dedicated COVID Health Center (DCHC)** :

i) इन संस्थानों में Group II वर्ग के COVID रोगियों का उपचार / देखभाल किया जाना है। यदि COVID Care Center में भर्ती रोगी के लक्षण Group II में परिवर्तित हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिती में ऐसे रोगियों को DCHC में चिन्हित संस्थानों में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

ii) निजी अस्पतालों को भी इस हेतु चिन्हित किया जा सकता है।

iii) DCHC के रूप में एक पूरे अस्पताल को अथवा अस्पताल में एक अलग ब्लॉक में इसे संस्थापित किया जा सकता है, जिसमें preferably अलग प्रवेश / निकास / zoning की सुविधा हो।

xi) मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग के उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेश दिये गए हैं।

xii) इन अस्पतालों के प्रत्येक शैया पर 24 X 7 ऑक्सीजन की सुविधा के साथ उपचार की समुचित व्यवस्था एवं आवश्यक दवायें उपलब्ध रहनी है।

iv) प्रत्येक Dedicated COVID Health Centres को एक या अधिक Dedicated COVID Hospital के साथ रोगियों के सुगम एवं ससमय Referral हेतु अवश्य tag किया जाय। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग का पत्र संख्या 54 /(अ0स0को0) दिनांक 05.04.2020 के द्वारा निदेश दिये गए हैं।

v) प्रत्येक Dedicated COVID Health Centres (DCHC) पर ऑक्सीजन Support के साथ 24X7 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स (BLSA) उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि रोगी के लक्षण moderate से severe होने पर उनका उच्च सुविधाओं के लिए ससमय Referral हो सके। Referral होने की अवस्था में संबंधित Dedicated COVID Hospital को दूरभाष पर सूचित कर दिया जाय।

vi) सभी भर्ती रोगियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य के मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप vitals यथा Oxygen Saturation, Pulse, BP, Respiratory rate इत्यादि की जाँच की जाय।

(III) **Dedicated COVID Hospital (DCH)** :

i) इन अस्पतालों में Group III रोगियों की व्यापक देख–भाल की जानी है। यदि किसी रोगी के लक्षण गम्भीर श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे तुरंत Dedicated COVID Hospital में स्थानान्तरित किया जाय।

ii) DCH के रूप में एक पूरे अस्पताल को अथवा अस्पताल में एक अलग ब्लॉक में संस्थापित किया जा सकता है, जिसमें preferably अलग प्रवेश / निकास की सुविधा हो।

iii) निजी अस्पतालों को भी Dedicated COVID Hospital में चिन्हित किया जा सकता है।

iv) राज्य में तीन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों यथा नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल गया एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल Dedicated COVID Hospital के रूप में चिन्हित हैं।

v) Dedicated COVID Hospital (DCH) के रूप में चिन्हित अस्पतालों में पूर्ण सुसज्जित (Fully Equipped) आई0सी0यू0, भेन्टिलेटर एवं प्रत्येक शैया पर 24 X 7 ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

vi) Dedicated COVID Health Center (DCHC) एवं COVID Care Centres के Referral Centres के रूप में Dedicated COVID Hospitals (DCH) कार्य करेंगे।

4. प्रत्येक जिला में पदस्थापित एम0डी0 मेडिसीन योग्यता वाले अथवा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों को DCHC एवं CCC केन्द्रों पर कार्य कर रहे चिकित्सा पदाधिकारियों का आवश्यकता पड़ने पर handholding के लिये निदेशित किया जाय। इस हेतु जिला में पदस्थापित अन्य निजी विशेषज्ञों की सेवा हेतु IMA की जिला इकाई से अनुरोध किया जा सकता है।

5. प्रत्येक Isolation-cum-Treatment Center पर इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक 1 के अनुसार आवश्यक सामग्रियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

6. इन केन्द्रों पर मानक के अनुरूप नियमित सफाई, कीटाणुशोधन, कचरा प्रबन्धन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक सावधानियाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), अपशिष्ट निपटान किया जाना है।

7. इन केन्द्रों पर संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण तथा जैव चिकित्सा अपष्टि प्रबन्धन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना है।

8. इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में COVID Care Centers से संबंधित प्रतिवेदन संधारित किया जाना है। अद्यतन CheckList for COVID Care Centers (CCC) को सभी CCC पर कर संधारित किया जाय। District Reporting Format for COVID Care Centers में CCC जिला स्तर पर प्रतिवेदन प्रेषित करेगा है जिससे ससमय सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। Daily Reporting Format में प्रतिवेदन प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे तक npcdcsbiharoffice@gmail.com पर सभी जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों द्वारा भेजा जाय।

9. सभी CCC एवं DCHC की 24 X 7 सघन मॉनिटेरिन्ग जिला/ प्रखण्ड स्तरीय दल बना कर की जाय।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि यथाशीघ्र अनिवार्य आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का आकलन कर संदर्भित दोनों प्रकार के COVID dedicated उपचार संस्थानों (यथा CCC एवं DCHC) के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकतानुसार नए सेन्टर की स्थापना के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/4/2020

(संजय कुमार)

ज्ञापांक : 422 , **दिनांक :** 29/4/2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री संजीव हंस/श्री लोकेश कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री कौशल किशोर, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, मान्नीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, Indian Medical Association, बिहार इकाई को सूचनार्थ एवं सभी जिलों में COVID रोगियों के उपचार में चिकित्सा पदाधिकारियों के handholding संबंधित यथोचित कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/2020

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
EMR Division

Guidance document on appropriate management of suspect/confirmed cases of COVID-19

1. Introduction: Since its first detection in China, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has now spread to over 210 countries/territories, with reports of local transmission happening across the world. As per WHO (as of 7th April, 2020), there has been a total of 12,14,466 confirmed cases and 67,767 deaths due to COVID-19 worldwide.

In India, as on 7th April, 2020, 4421 confirmed cases and 114 deaths reported from 31States/UTs.

2. Purpose of this document

A series of measures have been taken by both the Central and State Governments to break the chain of transmission. One among these is to isolate all suspect and confirmed cases of COVID-19. However, as the number of cases increases, it would be important to appropriately prepare the health systems and use the existing resources judicially. Available data in India suggests that nearly 70% of cases affected with COVID-19 either exhibit mild or very mild symptoms. Such cases may not require admission to COVID-19 blocks/ dedicated COVID-19 hospitals.

It is important to put in place mechanisms for triaging and decisions making for identification of the appropriate COVID dedicated facility for providing care to COVID-19 patients. The purpose of this document is to put in place such SOPs to ensure optimal utilization of available resources and thereby providing appropriate care to all the COVID-19 patients. This will ensure that available hospital beds capacity is used only for moderate to severe cases of COVID-19. The SOPs specified hereafter also specify the different types of facilities to be set up for various categories of Covid-19 cases.

Guiding principles

All the selected facilities must be dedicated for COVID management. Three types of COVID dedicated facilities are proposed in this document. All 3 types of COVID Dedicated facilities will have separate ear marked areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases should not be allowed to mix under any circumstances.

All suspect cases (irrespective of severity of their disease) will be tested for COVID-19. Further management of these cases will depend on their (i) clinical status and (ii) result of COVID-19 testing.

All three types of facilities will be linked to the Surveillance team (IDSP)

All these facilities will follow strict infection prevention and control practices

3. **Types of COVID Dedicated Facilities**: There are three types of COVID Dedicated Facilities –

(1) **COVID Care Center (CCC):**

1.1. The COVID Care Centers shall offer care only for cases that have been clinically assigned as **mild or very mild cases or COVID suspect cases.**

1.2. The COVID Care Centers are makeshift facilities. These may be set up in hostels, hotels, schools, stadiums, lodges etc., both public and private. If need be, existing quarantine facilities could also be converted into COVID Care Centers. Functional hospitals like CHCs, etc, which may be handling regular, non-COVID cases should be designated as COVID Care Centers as a last resort. This is important as essential non COVID Medical services like those for pregnant women, newborns etc, are to be maintained.

1.3. Wherever a COVID Care Center is designated for admitting both the confirmed and the suspected cases, these facilities **must have separate areas for suspected and confirmed cases with preferably separate entry and exit. Suspect and confirmed cases must not be allowed to mix under any circumstances.**

1.4. As far as possible, wherever suspect cases are admitted in the COVID Care Center, preferably individual rooms should be assigned for such cases.

1.5. Every Dedicated COVID Care Centre must necessarily be mapped to one or more Dedicated COVID Health Centres and at least one Dedicated COVID Hospital for referral purpose (details

given below).

1.6. Every Dedicated COVID Care Centre must also have a dedicated Basic Life Support Ambulance (BLSA) equipped with sufficient oxygen support on 24x7 basis, for ensuring safe transport of a case to Dedicated higher facilities if the symptoms progress from mild to moderate or severe.

1.7. The human resource to man these Care Centre facilities may also be drawn from AYUSH doctors. Training protocols developed by AIIMS is uploaded on MoHFW website. Ministry of AYUSH has also carried out training sessions. The State AYUSH Secretary/ Director should be involved in this deployment. State wise details of trained AYUSH doctors has been shared with the States. Their work can be guided by an Allopathic doctor.

(2) Dedicated COVID Health Centre (DCHC):

2.1. The Dedicated COVID Health Centre are hospitals that shall offer care for all cases that have been **clinically assigned as moderate**.

2.2. These should either be a full hospital or a separate block in a hospital with preferably separate entry\exit/zoning.

2.3. Private hospitals may also be designated as COVID Dedicated Health Centres.

2.4. Wherever a Dedicated COVID Health Center is designated for admitting both the confirmed and the suspect cases with moderate symptoms, these hospitals **must have separate areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases must not be allowed to mix under any circumstances.**

2.5. These hospitals would have beds with assured Oxygen support.

2.6. Every Dedicated COVID Health Centre must necessarily be mapped to one or more Dedicated COVID Hospitals.

2.7. Every DCHC must also have a dedicated Basic Life Support Ambulance (BLSA) equipped with sufficient oxygen support for ensuring safe transport of a case to a Dedicated COVID Hospital if the symptoms progress from moderate to severe.

(3) Dedicated COVID Hospital (DCH):

3.1. The Dedicated COVID Hospitals are hospitals that shall offer comprehensive care primarily for those who have been **clinically assigned as severe**.

3.2. The Dedicated COVID Hospitals should either be a full hospital or a separate block in a hospital with preferably separate entry\exit.

3.3. Private hospitals may also be designated as COVID Dedicated Hospitals.

3.4. These hospitals would have fully equipped ICUs, Ventilators and beds with assured Oxygen support.

3.5. These hospitals **will have separate areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases should not be allowed to mix under any circumstances.**

3.6. The Dedicated COVID Hospitals would also be referral centers for the Dedicated COVID Health Centers and the COVID Care Centers.

All these facilities will follow strict infection prevention and control practices.

4. Management of COVID cases

4.1. Assessment of patients:

In addition to patients arriving directly through helpline/ referral to above categories of COVID dedicated facilities, in field settings during containment operations, the supervisory medical officer to assess for severity of the case detected and refer to appropriate facility.

States\UTs may identify hospitals with dedicated and separate space and set up Fever Clinics in such hospitals. The Fever Clinics may also be set up in CHCs, in rural areas subject to availability of sufficient space to minimize the risk of cross infections. In urban areas, the civil\general hospitals, Urban CHCs and Municipal Hospitals may also be designated as Fever Clinics. These could be set up preferably near the main entrance for triage and referral to appropriate COVID Dedicated Facility. Wherever space allows, a temporary make shift arrangement outside the facility may be arranged for this triaging.

The medical officer at the fever clinics could identify suspect cases and refer to COVID Care Centre, Dedicated COVID Health Centre or Dedicated COVID Hospital, depending on the clinical severity.

4.2 Categorization of patients

Patients may be categorized into three groups and managed in the respective COVID hospitals – Dedicated COVID Care Centre, dedicated COVID Health Centre and dedicated COVID

Hospitals.

Group 1: Suspect and confirmed cases clinically assigned as mild and very mild

Group 2: Suspect and confirmed cases clinically assigned as moderate

Group 3: Suspect and confirmed cases clinically assigned as severe

Group 1: Suspect and confirmed cases clinically assigned as mild and very mild (COVID Care Centres)

- **Clinical criteria**: Cases presenting with fever and/or upper respiratory tract illness (Influenza Like Illness, ILI).
- These patients will be accommodated in COVID Care Centers.
- The patients would be tested for COVID-19 and till such time their results are available they will remain in the "suspect cases" section of the COVID Care Center preferably in an individual room.
- Those who test positive, will be moved into the "confirmed cases" section of the COVID Care Center.
- If test results are negative, patient will be given symptomatic treatment and be discharged with advice to follow prescribed medications and preventive health measures as per prescribed protocols.
- If any patient admitted to the COVID Care Center qualifies the clinical criteria for moderate or severe case, such patient will be shifted to a Dedicated COVID Health Centre or a Dedicated COVID Hospital.
- Apart from medical care the other essential services like food, sanitation, counseling etc. at the COVID Care Centers will be provided by local administration. Guidelines for quarantine facilities (available on MoHFW website) may be used for this purpose.

Group 2: Suspect and confirmed cases clinically assigned as moderate (Dedicated COVID Health Centres)

- **Clinical criteria**: Pneumonia with no signs of severe disease (Respiratory Rate 15 to 30/minute, SpO2 90%-94%).
- Such cases will not be referred to COVID Care Centers but instead will be admitted to Dedicated COVID Health centres.
- It will be manned by allopathic doctors and cases will be monitored on above mentioned clinical parameters for assessing severity as per treatment protocol (available on MoHFW website).
- They will be kept in "suspect cases" section of Dedicated COVID Health Centres, till such time as their results are not available preferably in an individual room.
- Those testing positive shall be shifted to "confirmed cases" section of Dedicated COVID Health Centre.
- Any patient, for whom the test results are negative, will be shifted to a non-COVID hospital and will be managed according to clinical assessment. Discharge as per clinical assessment.
- If any patient admitted to the Dedicated COVID Health Center qualifies the clinical criteria for severe case, such patient will be shifted to a Dedicated COVID Hospital.

Group 3: Suspect and confirmed cases clinically assigned as severe (Dedicated COVID Hospital)

- **Clinical criteria**: Severe Pneumonia (with respiratory rate $\geq$30/minute and/or SpO2 $<$ 90% in room air) or ARDS or Septic shock
- Such cases will be directly admitted to a Dedicated COVID Hospital's ICU till such time as test results are obtained.
- If test results are positive, such patient will remain in COVID-19 ICU and receive treatment as per standard treatment protocol. Patients testing negative will be managed with adequate infection prevention and control practices.

Algorithm for isolation of suspect/confirmed cases of COVID-19

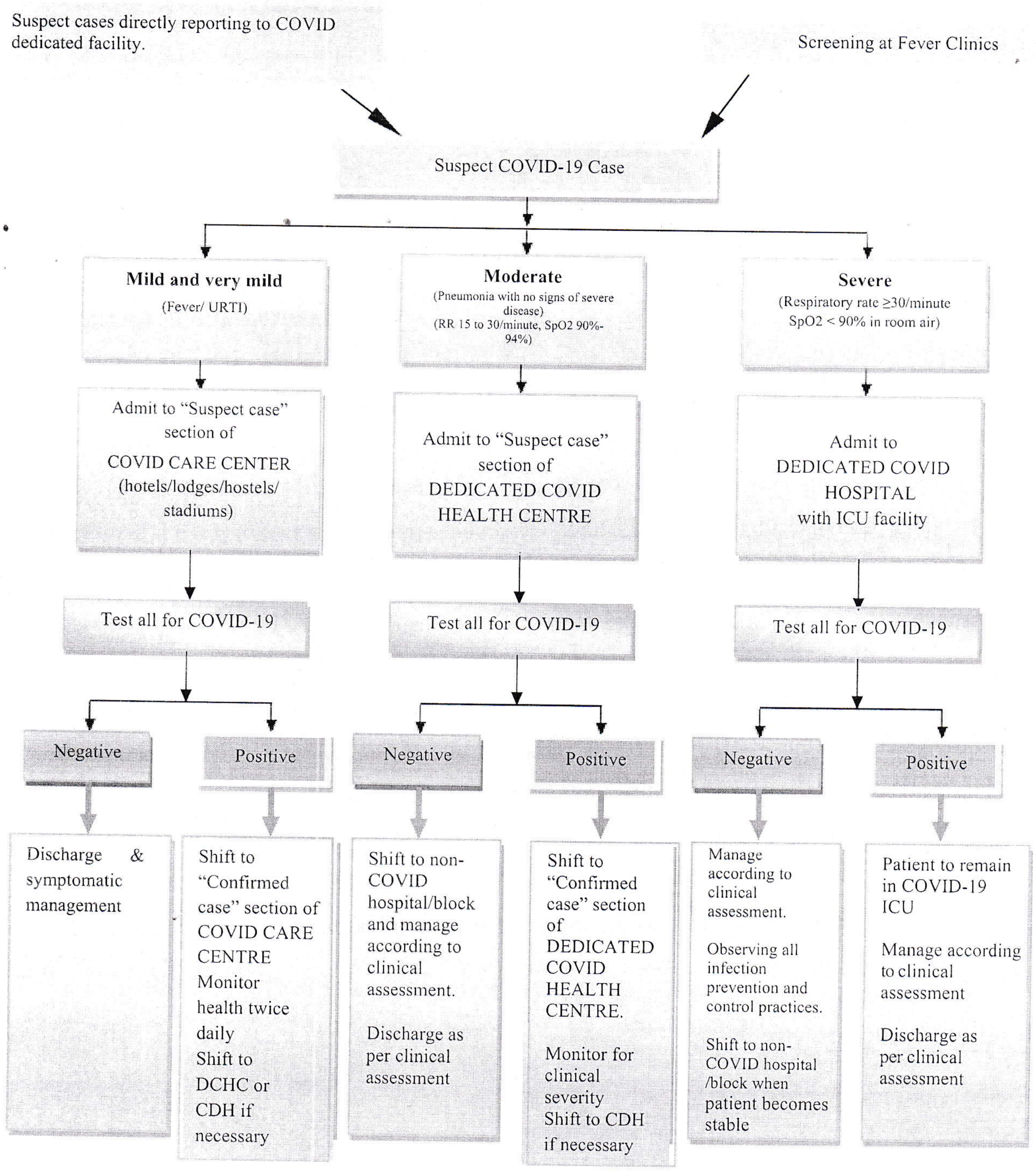

A. Checklist for isolationrooms

- Eye protection (visor or goggles)
- Face shield (provides eye, nose and mouth protection)
- Gloves
- reusable vinyl or rubber gloves for environmental cleaning
- latex single-use gloves for clinical care
- Haircovers
- Particulate respirators (N95, FFP2, or equivalent)
- Medical (surgical or procedure) masks
- Gowns and aprons
- single-use long-sleeved fluid-resistant or reusable non-fluid-resistant gowns
- plastic aprons (for use over non-fluid-resistant gowns if splashing is anticipated and if fluid-resistant gowns are not available)
- Alcohol-based handrub
- Plain soap (liquid if possible, for washing hands in clean water)
- Clean single-use towels (e.g. paper towels)
- Sharps containers
- Appropriate detergent for environmental cleaning and disinfectant for disinfection of surfaces, instruments orequipment
- Large plastic bags
- Appropriate clinical waste bags
- Linenbags
- Collection container for used equipment
- Standard IEC
- Standard protocols for hand hygiene, sample collection and BMW displayed clearly
- Copies of Standard Clinical management protocols

District wise details of COVID-19 Isolation-cum-Treatment Centres

S. No	District	S. No	Location of Isolation Ward	Type: Govt / Pvt	Category of the Facility: 1) Covid Care Centre (CCC) 2) Dedicated Covid Health Centre (DCHC) 3) Dedicated Covid Hospital (DCH)	No of beds	Details of Nodal Officer at Isolation Centre: Name	Designation	Mob No.	Availability of Oxygen Cylinders in the District: Small	Large	Mapping of Oxygen Cylinders Isolation Centre wise	Pulse Oxymeter: Availabilty	Least Requirement that should be available
1	Araria	1	ANM School, Forbesganj	Govt	DCHC	60	1) Dr. Ashutosh Kumar 2) Md Nazish Ahmad 3) Niyaz	DS HM	7542840990 9304010491/ 9852728786	119	0	60	10	12
2	Arwal	2	ANM/ GNM Training School Sadar Hospital Campus	Govt	DCHC	50	Dr Raman Aryabhatt	DS	9939920018	53	0	49 4	20	12
		3	Aroma Building, Arwal	Pvt	CCC	8	Abhijeet Kr. Govinda	ASDO	9123293481			24		
3	Aurangabad	4	US Residency Hotel	Pvt	CCC	35	Jitendra Kumar	Dist Indust-rial Asstt	9006864920	99	16	50	36	25
		5	SDH Daudnagar	Govt	DCHC	50	Dr Rajesh Kumar	DS	7782034134			25		
		6	Ram Lakan Singh Yadav College Hostel	Govt	CCC	40	Sujeet Kumar,	Ast Comm Tax	6202223411			30		
4	Banka	7	GNM School, Banka	Govt	DCHC	30	Dr. Anjani Kumar Amresh Kumar	MO HM	9470003075 / 9572609911 9973036896	34	70	30	15	6
5	Begusarai	8	Agrasen Matri Seva Sadan	Pvt	DCHC	21	Sanjay Kr. Singh	DNCDO	9431067418	150	0	21	4	16
		9	Hotel Devi Darbar, Zero Mile	Pvt	CCC	25	Pankaj Kumar	HM	8084241007			25		
		10	Vishnu Hotel	Pvt	CCC	32	Ashish Ranjan	GM	7070091218			32		
6	Bhagalpur	11	Hotel Rajhans	Pvt	CCC	15	Abhishek Tiwary	Manager	9065516493	124	20	15	19	20
		12	Hotel Chinmoy	Pvt	CCC	25	Dr. Lakhan Murmu Raju Pradhan	Dy Suptt. HM	9470003129 7070909093			25		
		13	SDH Kahalgaon	Govt	DCHC	30	Dr. Arun Kr Sinha Raju Ranjan Pradhan	Dy Suptt. HM	9431001695 6205228014 / 8825238370			30		
		14	SDH Naugachiya	Govt	DCHC	30	Rajeev Ranjan	Manager	9430265965			30		
7	Bhojpur	15	Blue Heaven Resort, Dhanpura, Ara	Pvt	CCC	11	Dr. C. V. Narayan	DS	7903653342	122	0	11	21	10
		16	ANM Training School, Jagdishpur	Govt	DCHC	40	Santosh Kumar		9473191872			40		
		17	Hotel Royal	Pvt	CCC	50	Dr. Anil Bhatt Chandra Shekhar Azad	DS HM	8709831678 9470003162 9934180040			24		
8	Buxar	18	SDH Dumraon	Govt	DCHC	25	Dr. A. K. Mishra	MO	947000320	49	0	25	4	15
9	Darbhanga	19	Ganga Residency, Rambagh Kila	Pvt	CCC	18				93	0		28	6
		20	Hotel Holiday Inn, Laheriasarai	Pvt	CCC	20								
		21	Hotel Prince, VIP Main Road, Laheraisarai	Pvt	CCC	14								
		22	Hotel GovindA Palace, Delhi More	Pvt	CCC	21								
		23	Hotel Rambha Grand, Donar Road	Pvt	CCC	15								
		24	Shyama Residency	Pvt	CCC	47		D.E.O., Motihari	8544411249			30		
10	East Champaran	25	DIET	Govt	CCC	130	Dr. Veena Kumari Das	MO	9470003183/ 9955071036	53	94	10	0	80
		26	SDH Pakaridayal	Govt	DCHC	60	Avnish Kumar	HM	9472414040			10		
		27	ANM School, Dhaka (RH Dhaka Campus)	Govt	DCHC	70	Dr. S. K. Gupta	MO	9470003182			10		
		28	ANM School, SDH Areraj	Govt	DCHC	70	Dr. Niraj Kumar N. Azam	MO HM	9470003190 9934244794/ 8873530345			13		
		29	ANM School, SDH Chakiya	Govt	DCHC	70	Dr. Chandan Kumar S K Srivastava	MO HM	9835474249 9430679771			10		

S. No	District	S. No	Location of Isolation Ward	Type	Category of the Facility	No of beds	Details of Nodal Officer at Isolation Centre			Availability of Oxygen Cylinders in the District		Mapping of Oxygen Cylinders Isolation Centre wise	Pulse Oxymeter	
				Govt / Pvt	1) Covid Care Centre (CCC) 2) Dedicated Covid Health Centre (DCHC) 3) Dedicated Covid Hospital (DCH)		Name	Designation	Mob No.	Small	Large		Availabilty	Least Requirement that should be available
11	Gaya	30	Hotel Imperial, Bodh Gaya	Pvt	CCC	9	Sri Saurabh Singh Sri Deepak Kumar Sri Radheshyam Sri Sanjiv Kumar	Coop Off Bela Coop Off Tankupa Coop Off Manpur	9810281794 9097003578 9708973873 9570392659	128	72	9	0	23
		31	SDH Sherghati	Govt	DCHC	30	Dr Rajendra Prasad	DS	9470003276			30		
		32	SDK Tekari	Govt	DCHC	50	Dr Saroj Singh	DS	9470003279			50		
		33	CHC Mahkar	Govt	DCHC	26	Dr Bhola Dr. Rajesh Kumar	MOIC-I MOIC-II	8340455197 7004331185			26		
12	Gopalganj	34	Hotel Shabnam	Pvt	CCC	20	Shaukat Ali	Manager	8757294547	75	70	20	3	15
		35	SDH Hathua	Govt	DCHC	25	Dr. Ramesh Ram Smt Farhan Rahman	DS HM	9470003318 9472238689			25		
		36	CHC Thawe	Govt	DCHC	30	Dr Sanjay Kumar	MOIC	9470003316			30		
13	Jamui	37	GNM & Paramedical School, Mohuligarh, Giddhaur	Govt	DCHC	200	Dr. Ramsarup Pasi	MOIC	9470003345	22	45	12	9	50
		38	ANM School, Laxmipur	Govt	DCHC	50	Dr D K Dhusiya	MO	8340563855			10		
14	Jehanabad	39	GNM School, Near Sadar Hospital, Jehanabad	Govt	DCHC	50	Dr. Vinay Krishna Sinha Kunal Bharti	DS HM	9470003332 9386022215	74	0	50	18	10
15	Kaimur	40	Jagjivan Ram Bhupesh nath Mahavidyalaya, Kaimur	Pvt	CCC	100	Dr. Vinod Kumar	MO	9572942982	90	30	40	8	30
		41	SDH, Mohaniya	Govt	DCHC	50	Dr. Rajat Dr. Chandeshwar Pd. Shivanand Pandey (BCM)- in place of HM	DS MOI/c HM	9470003361 9431875757 9470022515 8862863206			50		
16	Katihar	42	SDH Barsoi	Govt	DCHC	50	Dr Arun Kumar Umar Farooq	DS HM	9431667237 9973070407	117	0	50	8	
		43	ANM School Katihar	Govt	DCHC	60	Dr RN Pandit	DS	9470003369			19		
		44	Govt RaenBasera	Govt	CCC	18						18		
		45	SDH Manihari	Govt	DCHC	30	Dr. Sambhu Chaudhary Brajesh Kr Thakur	DS HM	8789110214 8083113558			30		
17	Khagaria	46	GNM School, Khagaria	Govt	DCHC	40	Dr. Yogendra Singh Prayasi Sashikant Kumar	DS HM	9431689373 9472940116	66	4	40	15	
18	Kishanganj	47	Dr Kalam Agriculture College (Horticulture), Arrabari, Chhatargachh, Pothiya	Govt	CCC	150	Mr V.V. Jha		8210696466	60	12	60	8	
19	Lakhisarai	48	Para Medical Institute	Govt	DCHC	180	Dr. Bijendra Kumar	MO	7903644731	42	8	42	9	
20	Madhubani	49	ANM Training School, Jhanjharpur	Govt	DCHC	40	Dr. Mukesh kumar	MOIC	7870772564	152	0	40	8	
21	Munger	50	GNM School, Haji Subhan, Purab Sarai, Munger	Govt	DCHC	125	Dr. Dhruv Kr. Sah	In-charge	7257855032	57	0	57	26	53
		51	Railway Hospital Jamalpur	Govt	DCHC	58	Dr. Arun Kumar	MO	9123053258			0		
		52	White House Hotel Jubli Jamalpur	Pvt	CCC	30	Dr. Balam Pd. Sah	MOIC	9470003458			0		
		53	ANM Training School, Tarapur	Govt	DCHC	50	Dr. B.N. Singh	DS	9470003464			0		
22	Muzaffarpur	54	MCH Building, Sadar Hospital campus	Govt	DCHC	100	Dr Satish Kumar	DVDO	9113709951	109	0	100	10	24
		55	Hotel Atithi	Pvt	CCC	22	Neeraj Kumar	Manager	9204067387			9		

S. No	District	S. No	Location of Isolation Ward	Type	Category of the Facility	No of beds	Details of Nodal Officer at Isolation Centre			Availability of Oxygen Cylinders in the District		Mapping of Oxygen Cylinders Isolation Centre wise	Pulse Oxymeter	
				Govt / Pvt	1) Covid Care Centre (CCC) 2) Dedicated Covid Health Centre (DCHC) 3) Dedicated Covid Hospital (DCH)		Name	Designation	Mob No.	Small	Large		Availabilty	Least Requirement that should be available
23	Madhepura	56	Vivah Bhavan, Zila Parishad	Govt	CCC	45	Amit Najir, Zila Parishad	Nazir	9709522496	144	7	45	21	9
		57	Hotel Ajanta	Pvt	CCC	30	Dr Rakesh Kumar	CDO	9955004300	75	0	15	4	17
24	Nalanda	58	SDH Hilsa	Govt	DCHC	30	Dr. Raj Kishore Raju Sanjay Kr Azad	HM	9470003502 9304011706			30		
25	Nawada	59	RaenBasera, Sadar Hospital Campus	Govt	DCHC	5	Dr. T. A. Jafri	DPM (I/c)	9473191890	99	12	5	20	13
		60	SDH Rajauli	Govt	DCHC	60	Md Irshad Ahmad	HM	9431270464 9031553365			60		
26	Patna	61	Patliputra Sports Complex	Govt	CCC	68	Sanjay Kumar	In-charge	9431251305	162	5	68	16	27
		62	Bamiti Compus	Govt	CCC	17	Ajit Kumar	DHO, Patna	9431818936			17		
		63	BIPARD Hostel, Walmi	Govt	CCC	24	Kaushal Kishore Jha	JE	9430947840			24		
		64	Walmi Hostel, Walmi	Govt	CCC	24						24		
		65	Hotel Jyoti Sanjay	Pvt	CCC	44	Manager	Manager	9470221370			44		
27	Purnea	66	SDH Dhamdaha.	Govt	DCHC	40	Dr. J.P. Pandey Vikal Kr	MOIC HM	9470003622 7739649836 9470228451	252	33	40	20	31
		67	SDH Banmankhi.	Govt	DCHC	70	Dr. Prince Kumar Suman Abhinash Kr Singh	MOIC HM	9470003629 8083173573			70		
28	Rohtas	68	Shershah Hotel, Sasaram	Pvt	CCC	13	Dr. K. N. Tiwari Sanjeev Kr. Madhukar	In-charge HM	9470003656 7004169886	93	11	13	10	15
		69	SDH Bikramganj	Govt	DCHC	30	Ashok Kumar	HM	9470003648 7654624482			30		
		70	SDH Dehri	Govt	DCHC	30	Rana Rajesh Kr Singh	HM	8409474178			30		
29	Saharsa	71	Kshetriya Pariksha Kendra	Govt	CCC	50	Dr Ratan Kumar Jha	CDO	7488144934	69	6	50	10	10
		72	Hotel Swarg Exotica	Pvt	CCC	12	Dharmesh Kumar	Dy Coll	8210650337			6		
30	Samastipur	73	ANM Training School, Rosera	Govt	DCHC	50	Dr. Rana Vishwa Vijay Singh	DS	9470003682	106	0	50	32	22
		74	SDH Dalsinghsarai	Govt	DCHC	50	Dr. Arun Kumar Purnendu Kumar	DS HM	9470003683 7091597431			50		
31	Saran	75	GNM School Hostel Chhapra	Govt	DCHC	72	Dr. Ram Iqbal Singh Rajeshwar Pd	DS HM	9470003711 9934826542	64	20		8	14
32	Sheikhpura	76	Ashoka Hotel, above Hero Honda Showroom, Tin Muhani	Pvt	CCC	20	Dr KMP Singh	MO	6205155015	42	5	12	7	10
		77	RH Barbigha	Govt	DCHC	30	Dr Faisal Arshad Ranjan Kumar	MO HM	9102597050 9835532991			30		
33	Sheohar	78	Saroja Sitaram Hospital	Govt	DCHC	55	Dr Rizwan Rashid	DS	7541896153	39	0	20	4	22
		79	ANM Trg School Hostel Sheohar	Govt	CCC	55	Sanchita Samanta	Principal	9934244022			19		
		80	SDH, Belsund	Govt	DCHC	30	Dr. Hemant Kr Samir Bharti	DS HM	6200073406 9955426526			11		3
		81	Hotel CTR, Dumra Chowk Mob-8002893950	Pvt	CCC	26	Phanibhushan	Gr Awas Sup	7061501438			4		1
		82	Hotel Ram Janki, near IB Mob-8804500125	Pvt	CCC	20	Ruhi Rai	Gr Awas Sup	9430269814			4		1
		83	Hotel Sai, Sitamarhi, near V2 mall Mob-7016686156	Pvt	CCC	15	Shantanu Kumar	Gr Awas Sup	9431216121			4		1
		84	Hotel Shree, Dumra Road Mob-8084921921	Pvt	CCC	21	Baleshwar Yadav	Gr Awas Sup	8292349415			4		1

S. No	District	S. No	Location of Isolation Ward	Type: Govt / Pvt	Category of the Facility: 1) Covid Care Centre (CCC) 2) Dedicated Covid Health Centre (DCHC) 3) Dedicated Covid Hospital (DCH)	No of beds	Details of Nodal Officer at Isolation Centre: Name	Designation	Mob No.	Availability of Oxygen Cylinders in the District: Small	Large	Mapping of Oxygen Cylinders Isolation Centre wise	Pulse Oxymeter: Availabilty	Least Requirement that should be available
34	Sitamarhi	85	Hotel Sitayan, Sursand Road, Ward 28, Mob-8084454269	Pvt	CCC	15	Mukund Kumar	Gr Awas Sup	8969305570	71	0	4	10	1
		86	Hotel Ashirwad, Near Ganesh Cinema Paswan Chowk, Mob-9931404349	Pvt	CCC	46	Bharat Bhushan	Gr Awas Sup	9709601956			4		1
		87	Everest Hotal, Near Ganesh Cinema Paswan Chowk Mob-9931870416	Pvt	CCC	37	Sanjay Kumar Gold	Gr Awas Sup	9934655252			4		1
		88	Hotel, Umang, Kiran Chowk, Ward 17, Mob-9470241371	Pvt	CCC	40	Suman Kumari	Gr Awas Sup	7033135488			4		1
		89	India Guest House, in front of RB, Dumra Road 94300123436	Pvt	CCC	21	Ankesh Kumar	Gr Awas Sup	9504443815			4		1
		90	Aman Vihar Hotel, Sursand Road, Ward 27 Mob 7764857577	Pvt	CCC	40	Ramsudist Kumar	Gr Awas Sahayak	9955690935			4		1
		91	tation Road, Ward 24 8084429569	Pvt	CCC	23	Saurabh Kumar	Gr Awas Sup	8298539113			4		1
		92	Hotel Park, Behind National Market Ring Bandh, Ward 17 Mob-9504064579	Pvt	CCC	13	Niraj Kumar	Gr Awas Sahayak	9835862884			4		1
		93	Hotel Rajpati, Gandhi Chowk Ward 18 Mob 8987382333	Pvt	CCC	9	Ajay Kumar Mandal	Gr Awas Sahayak	9304596479			4		1
		94	Hotel Siddhi Vinayak, Riga Road, Janki Asthan, Ward 1 Mob 9431403618	Pvt	CCC	14						4		1
		95	Hotel Shiv Surya, RD Palace Road, Ward 18 Mob-9470821500	Pvt	CCC	16	Bipin Kumar Jha	Gr Awas Sahayak	9473087092			4		1
35	Siwan	96	SDH Maharganj	Govt	DCHC	50	Dr Sujata Sumbrai	DS	9006269608	107	69	40	8	30
		97	ANM School, RH Mairwa	Govt	DCHC	40	Dr Usha Singh	MOIC	9470003778			40		
		98	Dayanand Ayurvedic Hospital	Pvt	CCC	58	Sri Anil Singh	HM	9431284168			27		
36	Supaul	99	R K Palace	Pvt	CCC	28	Dr CK Prasad	DIO	9470003792	70	22	20	2	15
		100	SDH Birpur	Govt	DCHC	53	Dr Kumar Birendra Dr. R. P. Sinha	DS DS	9431478314 7783881645			25		
		101	SDH Triveniganj	Govt	DCHC	45	Prem Ranjan	HM	9470003801 6207625635			25		
37	Vaishali	102	Sri Hospital, Hajipur	Pvt	CCC	15	Sushant Kumar	Owner	9304228339	176	20	15	20	18
		103	SDH Mahua-Vaishali	Govt	DCHC	75	Dr. Satyendra Kumar Md Mazhar Ali	DS HM	9473072010 9430964839			75		
38	West Champaran	104	ANM Training School, Narkatiyaganj	Govt	CCC	30	Dr. Sheo Kumar	MOIC	9470003215	68	6	30	1	12
		105	ANM Training School, Bagaha	Govt	DCHC	30	Dr. S. P. Agarwal		9470003203			30		
	West Champaran	106	Govt. Medical College, Bettiah	Govt	DCHC	100	Dr. Vijay Kumar Dr. Yugal	HOD, Microbiology HOD (POC)	9430035358 6206644776	50	300			
39	Patna	107	PMCH	Govt	DCHC	100	Dr Rajiv Ranjan Prasad Dr. R K Jamuar Alok Ranjan	Suprintendant DS HM	9470003549 9470003007 9471009974	220	580			
		108	NMCH	Govt	DCH	800	Prof. Chandrashekhar Dr. Gopal Krishna Dharmendra Kumar	Suprintendant DS HM	9470003568 9771493836 8409671287	265	470			
		109	AIIMS	GOI	DCHC	12	Dr. C M Singh Dr Neeraj	MS	9931733280 8340573610					

S. No	District	S. No	Location of Isolation Ward	Type	Category of the Facility	No of beds	Details of Nodal Officer at Isolation Centre			Availability of Oxygen Cylinders in the District		Mapping of Oxygen Cylinders Isolation Centre wise	Pulse Oxymeter	
				Govt / Pvt	1) Covid Care Centre (CCC) 2) Dedicated Covid Health Centre (DCHC) 3) Dedicated Covid Hospital (DCH)		Name	Designation	Mob No.	Small	Large		Availabilty	Least Requirement that should be available
		110	IGIMS	Govt	DCHC	100	Dr. S. K. Shahi Dr. Manish Mandal	Dean Nodal Officer	9473191803 9473191826	230	200			
		111	Netaji Subhash Medical College, Bihta	Pvt	DCHC	100								
40	Muzaffarpur	112	SKMCH	Govt	DCHC	130	Dr. P. C. Verma Sanjay Kr Sah	DS HM	9470003474 9835455825	100	256			
41	Madhepura	113	Govt. Medical College Madhepura	Govt	DCHC	107	Dr Ashok kumar yadav Dr B N Gupta Sumit Kumar	Principal DS DEO	9470003575 9334126568 9693287128	22	0			
42	Kishanganj	114	MGM Medical College & Hospital, Kishanganj	Pvt	DCHC	120	Dr. Ashok Kumar Ghosh Alok Kumar Sinha	Medical Suprintendent Asstt. Supdt	9102315663					
43	Nalanda	115	VIIMS, Pawapuri Nalanda	Govt	DCHC	100	Dr. Gyan Bhushan Mr Chandrakant (Resigned 02 Months ago)	DS HM	9470003131/ 8521831415 9470003166	100	110			
44	Katihar	116	Katihar Medical College	Pvt	DCHC	100	Dr. Arvind Prasad Shahi	MO	9470003366	125	100			
45	Gaya District	117	ANMCH, Gaya	Govt	DCH	130	Santosh Kr Sinha Dr. M. K. Paswan (Nodal-COVID-19)	Suprintendant DS HM	9470003301 9470003300 9931022168 9431388153	163	263			
46	Bhagalpur District	118	JLNMCH	Govt	DCH	100	Dr. Ashim Kr Das Ashit Kumar	DS HM	9431874400 9470003105	150	250			
47	Darbhanga	119	Nursing Hostel, DMCH	Govt	DCHC	130	Dr. Baleshwar Sagar	DS, DMCH	9470003253	100	200			
48	Rohtas	120	Narayan Medical College & Hospital, Jamuhar	Pvt	DCHC	50	DR. D. K. Raman	Suprintendent Med. Supdt	9431015246 8578003012					
49	Saharsa	121	Lord Buddha Koshi Medical College, Saharsa	Pvt	DCHC	100	Dr R N Singh	Suprintendent	9430336149					
50	Madhubani	122	Madhubani Medical College	Pvt	DCHC	100	Dr. Rashid	I/c	7982674419					
			Grand Total			6818								

पत्रांक– 5/अ0स0को0– 12 (अ0स0को0)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

127

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक– 01/04/2020

विषय– COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में Isolation Centre/ Quarantine Centre की स्थापना के लिए, स्थल चिन्हित करने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में विदेश से आए व्यक्ति अथवा COVID-19 Positive के संपर्क में आए अथवा COVID-19 Positive व्यक्तियों के ईलाज हेतु जिलों में निम्नवत् केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

(i) **Quarantine Centre:-** (क) बिहार राज्य में विदेश से आए हुए व्यक्ति जो symptomatic है अथवा जिनका sample collect किया जाना है या जाँच रिर्पोट प्रतीक्षित है।

(ख) COVID-19 Positive व्यक्ति के संपर्क में रहे व्यक्ति जिनकी जाँच हेतु sample लिए जाने हैं अथवा जिनके नमूने लिए जा चुके हैं एवं जाँच रिर्पोट प्रतीक्षित है ।

(ii) **Isolation-cum-Treatment Centre:-** इस केन्द्र पर COVID-19 Positive व्यक्ति ही रहेंगे। जो COVID-19 Positive व्यक्ति Symptomatic होगें अथवा Asymptomatic जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी उन्हें विभिन्न अस्पतालों में संचालित **Isolation-cum-Treatment Centre** में रखा जाएगा एवं उनका समुचित इलाज किया जायेगा।

प्रत्येक केन्द्र पर भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा कर्मी, साफ–सफाई एवं हाउस कीपिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसपर होने वाले व्यय का वहन तत्काल NHM अन्तर्गत उपलब्ध राशि से किया जायेगा। प्रत्येक जिले द्वारा इस मद में व्यय का आकलन कर राशि की अधियाचना स्वास्थ्य विभाग से की जायेगी। आवंटन उपलब्ध होने के उपरांत राशि की निकासी कर NHM मद में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

इन केन्द्रों पर उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के आवासन के निमित्त आवश्यक प्रोटोकॉल के आधार पर सावधानी बरती जानी है। इससे संबंधित Protocol/दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर भेजा जा रहा है, जिसका दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक– 1 (जिले में संस्थापित कोरेन्टाइन सेंटर/आईसोलेशन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थायें)

2.(क्वारंटाईन एवं आईसोलेशन केन्द्र में अवासित व्यक्तियों एवं कर्मियों के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश)

विश्वासभाजन,

1/4/2020

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

126

अनुलग्नक– 1

जिले में संस्थापित कोरेन्टाइन सेंटर/आईसोलेशन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थायें

मानक संचालन प्रक्रिया

- जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाईन केन्द्र हेतु होटल एवं लॉज/हॉस्टल संचालकों के साथ समन्वय कर आवश्यकतानुसार कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय भविष्य में आवश्यकतानुसार कमरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी।
- प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम शौचालययुक्त होस्टल/ होटल के कमरे फिर अंत में विशेष परिस्थिति में डोरमेट्री कक्ष को चिन्हित एवं प्राप्त किया जाय।
- इस केन्द्र में मूलभूत आवश्यकता जैसे, बिजली, पानी, खानपान, साफ–सफाई, तथा कचड़ा निस्तारण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- पारामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति :–
  (क) 50 बेड से कम आवासन – दो ए0एन0एम0 एवं एक चिकित्सक
  (ख) 50 से 100 बेड आवासन – चार ए0एन0एम0 एवं दो चिकित्सक
  (ग) 100 से 200 बेड आवासन – छः ए0एन0एम0 एवं दो चिकित्सक
- प्रत्येक केन्द्र पर पंजी का संधारण रिसेप्शन पर किया जायेगा। जिसमें सभी अंतःवासी व्यक्तियों की प्रविष्टि की जायेगी।
- नमून–जाँच वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश के समय में ICMR के मानक फार्म जिसमें आवागमन तथा कॉन्टैक्ट का इतिहास भी सम्मिलित है, भरा जायेगा तथा लक्षणों का चेकलिस्ट भी सावधानी पूर्वक भरा जायेगा, जिसे दैनिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग–अलग पन्ने पर प्रविष्टि की जायेगी जिसमें उनकी पूरी चिकित्सीय इतिहास भरा जायेगा। खासकर Co-morbid अवस्था तथा उस व्यक्ति द्वारा नियमित तौर पर ली जा रही दवाईयों के नाम व मात्रा का उल्लेख अवश्य की जायेगी। चिकित्सा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पंजी खुलेगी व प्रतिनियुक्त ए0एन0एम0 के पास रहेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश के समय व्यक्तिगत स्वच्छता किट (Personal Hygienic Kit) दिया जायेगा। जिसमें छोटा साबुन, टूथब्रश, छोटा टूथपेस्ट, कंघी, सैम्पू, तौलिया, टंग क्लीनर, सेविंग किट, ग्लास, जग, टॉयलेट क्लींनिंग सेट, फ्लोर मोबिंग क्लोथ, ऑल आउट/नेट आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक दिवस ए0एन0एम0 द्वारा लक्षण चेकलिस्ट (Symptom Checklist) के आधार पर भर्ती व्यक्तियों का परीक्षण ए0एन0एम0 द्वारा किया जायेगा। COVID-19 से संबन्धित फार्म उनका Sample Collect कर जॉच हेतु भरा जायेगा।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, सावधानियों, साफ–साफाई, समाजिक अलगाव तथा बिमारी के लक्षणों आदि के बारे में सभी सुगम तथा सुदृश स्थलों पर साईनेज/पोस्टर आदि लगाई जाने चाहिए।
- सामान्य को मोरबिड अवस्थाओं जैसे नियंत्रित ब्लड प्रेशर, शुगर आदि से ग्रस्त मरीजों को यदि भर्ती कराया जाता है तो समुचित ईलाज हेतु उनके द्वारा नियमित तौर पर सेवन की जाने वाली दवाई तथा किसी प्रकार की इमरजेंसी में ली जाने वाली दवाइयों की व्यवस्था उक्त केन्द्र पर अवश्य होनी चाहिए तदनुरूप प्रतिनियुक्त ए0एन0एम0 को चिकित्सक द्वारा विशेष तौर पर मार्गदर्शित किये जायेंगे।

12 (आ०स०को०) 01/4/2020

1/4/2020

1/4/2020

- प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक दिन प्रत्येक अंतःवासी का मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वास्थ्य रिकॉर्ड मेन्टेन करेगा।
- सभी प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा सभी स्टाफ को जरूरी सावधानियों तथा मानक प्रक्रियाओं के विषय में प्रशिक्षण अवश्य दिया जाय।
- किसी भी भर्ती अंतःवासी जो सीधे प्रयोगशाला जाँच में कन्फर्म केस के सम्पर्क में आये व्यक्ति के रूप में चिन्हित करते हुए कोरेन्टाइन सेंटर में लाया गया हो, के लिए आवासन अवधि 14 दिन होगी।

12 (अं०स०को०)
01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020

124

अनुलग्नक 2

क्वारंटाईन एवं आईसोलेशन केन्द्र में अवासित व्यक्तियों एवं स्वास्थ्य तथा अन्य कर्मियों के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश

1. संगरोधित (क्वारंटाईन्ड) व्यक्ति द्वारा सुरक्षा सावधानी :

संगरोधित व्यक्ति को हमेशा निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए :–

- हाथ को साबुन और पानी से या अल्कोहल–आधारित हैंड सेनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं।
- हर समय सर्जिकल मास्क पहनें। मास्क को हर 6–8 घंटे में बदलना चाहिए और समुचित निपटारा करना चाहिए। डिस्पोजेबल मास्क का कभी भी दोबारा उपयोग नहीं किया जाना है।
- प्रयुक्त मास्क को संभावित रूप से संक्रमित माना जाना चाहिए।
- साधारण ब्लीचींग सॉल्यूशन (5%) या सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल (1%) का उपयोग करके इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और फिर जलाकर गहरे गढ्ढे में दफन कर निपटाया जाना चाहिए।
- यदि लक्षण दिखाई देते हैं (खांसी / बुखार / सांस लेने में कठिनाई), तो उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या कॉल सेंटर नम्बर 104 पर सूचित करना चाहिए।

2. संगरोधित व्यक्ति की निजता का अधिकार

संगरोध में व्यक्तियों के पास अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के संरक्षण के संबंध में उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी केवल उन स्टाफ सदस्यों के साथ चर्चा की जानी चाहिए जो सीधे संगरोध में सहायक होंगे। व्यवहार में इसमें सफाईकर्मी और संबंधित कपड़े धोने और खानपान प्रदान करने वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।

3. खाद्य वितरण सेवाएं

होटल और अन्य खाद्य सेवाओं को संपर्क व्यक्ति के सीधे संपर्क को कम करने के लिए संगरोधित व्यक्ति के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खाद्य एवं पेय पदार्थ रखकर दरवाजे पर नॉक करना चाहिये। क्वारंटाइन्ड लोगों को खाना परोसने हेतु पत्तों से बने दोने व पत्तल आदि में खाना आदि परोसने का प्रयास किया जाना चाहिये। ताकि संक्रमित मानते हुए इसे जलाकर या भूमि में गाड़कर निस्तारित किया जाना सुगम होगा और वातावरण भी दूषित नहीं होगा।

4. कचरा प्रबंधन

किसी भी कमरे से प्राप्त अपशिष्ट संभावित रूप से संक्रामक माना जाना चाहिए। यह कचरा समुचित मास्क एवं ग्लास उपकरण पहने हुए कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित रूप से निहित किया जा सकता है और फिर नियमित कचरे में निपटारा किया जा सकता है।

5. सफाई के लिए आवश्यक कदमः

चरण I : आवश्यक सुरक्षा उपकरण

12(अ०स० को०)
01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020

- कमरे, शौचालय और अन्य सामान्य क्षेत्रों की सफाई करते समय हमेशा डिस्पोजेबल दस्ताने पहने जाने चाहिए, और जब सफाई और कीटाणुनाशक घोलों को संभालते समय दस्ताने अगर क्षतिग्रस्त या गंदे हो जाते हैं या जब सफाई पूरी हो जाती है, तो नीचे अंकित चरण 5 में वर्णित तरीके से दस्ताने का निपटान किया जाना चाहिए। दस्ताने कभी ना धोए और न ही उसका दूबारा उपयोग करें।
- संगरोधित व्यक्ति, के साथ निकट संपर्क (1.5 मीटर के भीतर के दायरे में सफाई करने हेतु) तीन प्लाई फेस मास्क पहनने की सिफारिश की जाती है।
- सफाई में छीटें उड़ने की स्थिति में आंखों की सुरक्षा, जैसे काले चश्मे, और सर्जिकल मास्क की आवश्यकता हो सकती है।
- दस्ताने पहने हुए या बिना धोये हाथ से चेहरे को छूने से बचें।

चरण II : <u>नियमित सफाई</u>

- संगरोध अवधि में कमरों की सफाई की आवृत्ति कम या स्थगित हो सकती है। यदि उचित सफाई उपकरण प्रदान किए जाते हैं तो कुछ सफाई कार्य संगरोध अलगाव में अतिथि द्वारा किए जा सकते हैं। इस हेतु उन्हें आवश्यक सफाई उपकरण जैसे– झाड़ू, पोछा आदि उपलब्ध कराये जा सकते है।।
- होटल के कर्मचारी जिस कमरे में सफाई कर रहे हैं, आवासित व्यक्ति उसी कमरे में नहीं होना चाहिए, जबकि वह साफ किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति को बाथरूम या बालकनी में प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि उपरोक्त विकल्प संभव नहीं है ; तो सफाई करने वाला व्यक्ति वह तीन प्लाई फेस मास्क पहने हुए हो और संगरोधित व्यक्ति से 1.5 मीटर या अधिक दूरी बनाए रखे।
- पोंछे के लिए डिस्पोजेबल कपड़े के उपयोग की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है, प्रत्येक कमरे के लिए एक ताजा कपड़े का उपयोग किया जाता है। अन्य कपडा के उपयोग की स्थिति में 30 मिनट के लिए 1% हाइपोक्लोराइट घोल में रखा जाय और बाद में साबुन घोल में धोया जाये।
- वायरस कुछ सतहों पर कई दिनों तक जीवित रह सकता है, इन सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जैसे नियमित सफाई उत्पाद प्रभावी हैं।
- टॉयलेट सतहों को नियमित रूप से घरेलू ब्लीच समाधान/फेनोलिक कीटाणुनाशक के साथ और कीटाणु रहित किया जा सकता है।

चरण III : <u>विशेष क्षेत्रों का कीटाणुशोधन</u>

नियमित सफाई के अलावा, कमरे में निम्नलिखित सतहों को जो आमतौर पर छुआ जाता है, उन्हें कीटाणुरहित किया जाना चाहिए :

- दरवाजे के हैंडल और लाइट स्विच
- टेबल्स और काउंटर
- कुर्सियों के आर्मरेस्ट (यदि कपड़े नहीं हैं)

12 (अ० स० को०) 01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020

- टीवी बटन और रिमोट कंट्रोल, टेलीफोन, एयर कंडीशनर (ए/सी) बटन और रिमोट कंट्रोल, केतली हैंडल, फ्रिज दरवाजे के हैंडल
- डोर हैंडल, डोर लॉक, टॉयलेट सीट और बटन, नल, वॉश–बेसिन, काउंटर, शॉवर और/या स्नान सहित स्नानघर।

- सामान्य डिटर्जेंट और पानी से पहले सतह को साफ करें, और फिर कीटाणुनाशक निर्माता के लेबल पर निर्देश के अनुसार कीटाणुनाशक लागू करें। अनुशंसित संपर्क समय सुनिश्चित करें। पूरी तरह से सूखने दें।
- निर्देशानुसार किसी भी सुरक्षा सावधानियों या अन्य लेबल सिफारिशों का पालन करें (जैसे कि शौचालय जैसे सीमित क्षेत्रों में पर्याप्त वेंटिलेशन की अनुमति देना)।
- मानक डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कुछ सतहों पर नहीं किया जा सकता है, जैसे टेलीविजन रिमोट कंट्रोल और टेलिफोन। इन सतहों के लिए सेनटाईजर का उपयोग की सिफारिश की जाती है।
- टीवी और ए0सी0 रिमोट कंट्रोल रखने के लिए अभेद्य और साफ–सुथरे जिप–लॉक प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर विचार करें क्योंकि इन वस्तुओं के अक्सर हाथ होने की संभावना होती है।
- यदि संगरोधित व्यक्ति को उनके कमरे को छोड़ने की अनुमति दी जाती है या उनके कमरे से बाहर जाने का संदेह होता है, तो कमरे के बाहर उनके द्वारा प्रयुक्त क्षेत्रों को साफ और कीटाणुरहित करें जैसे कि बटन तथा हैंडरेल आदि।

चरण IV : संगरोधित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से युक्त सतह की सफाई

- सफाई कर्मचारियों को एक अभेद्य डिस्पोजेबल गाउन या एप्रन, दस्ताने और आंखों की सुरक्षा पहननी चाहिए, जब किसी भी संगरोधित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से युक्त सतह की सफाई हो।
- किसी भी शरीर के तरल पदार्थ को पहले एक शोषक सामग्री का उपयोग करके दूषित सतहों से हटाया जाना चाहिए, जिसे बाद में एक मजबूत रिसाव–प्रूफ प्लास्टिक बैग में नीचे चरण 05 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
- कठोर, गैर–छिद्रपूर्ण सतहों को फिर से साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए जैसा कि चरण 2 में वर्णित है। शरीर के तरल पदार्थ (जैसे कि एक मेज को कवर करने वाले) दूषित बड़े क्षेत्रों को एक शोषक सामग्री से साफ किया जाना चाहिए, फिर डिटर्जेंट और पानी से साफ किया जाना चाहिए और फिर कीटाणुरहित होना चाहिए।
- कारपेट जैसी दूषित भारी सामग्री को निर्माता के निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक साफ किया जाना चाहिए या लांड्री किया जाना चाहिए।

चरण V : व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) सहित अपशिष्ट निपटान

- किसी भी मास्क या अतिथि द्वारा पहने गए अन्य पी0 पी0ई सहित सभी गंदे पदार्थो का निपटान, एक मजबूत, लीक–प्रूफ प्लास्टिक बैग में किया जाता है, जिसे बंद किया जाता है और फिर से खोला नहीं जाता है।
- उचित निपटान निर्णयों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- कचरे को सामान्य रूप से निपटाया जा सकता है।

चरण VI : खाद्य ट्रे, व्यंजन और कटलरी

- किसी संगरोधित व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए ट्रे, व्यंजन और बर्तन को संभालते समय डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने चाहिए।

12 (अ० स० को०)
01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020

- किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों को अन्य सामान्य कचरे के साथ त्याग दिया जाना चाहिए, जैसा कि चरण 5 में वर्णित है।
- पुनः प्रयोज्य बर्तन और कटलरी को डिटर्जेंट और गर्म पानी से इस तरह धोएं कि यह छींटे से बचा रहे। व्यक्ति को पानी के छींटे के कारण होने वाले संक्रमण से बचने के लिए दस्ताने, Three Ply फेस मास्क और चश्मा का उपयोग करना चाहिए।

चरण VII : असबाब और कालीन

- असबाब, कालीन और भंडारण क्षेत्रों के लिए विशेष सफाई प्रक्रियाएं आवश्यक नहीं हैं जब तक कि स्पष्ट रूप संगरोधित व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित तरल पदार्थ से गंदा न हो।

चरण VIII : कपड़े धोने के संबंध में निदेश

- कपड़े और कपड़े धोने से संबंधित अन्य गतिविधियों की सफाई हेतु एक अलग कमरे को चिन्हित किया जाये।
- कपड़े धोने वाले कर्मचारियों को मेहमानों के कमरे से कपड़े धोने से पहले दस्ताने पहनना चाहिए।
- लिनन को हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आसपास का क्षेत्र दूषित हो सकता है।
- यदि लिनन और तौलिये को लॉन्ड्रिंग की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कपड़े धोने के बैग में एकत्र किया जाना चाहिए।
- लिनन को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल वाले कंटेनर में कपड़े धोने के बैग से सीधे खाली किया जाना चाहिए।
- लिनन को 30 मिनट तक 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में रखा जाना चाहिए और बाद में डिटर्जेंट घोल में धोया जाना चाहिए।

चरण IX : कक्ष की सफाई के बाद हाथ धोना

- जब सफाई पूरी हो जाती है, तो सभी मास्क एवं ग्लब्स का हटा दिया जाना चाहिए और सुरक्षित रूप से एक मजबूत, रिसाव प्रूफ प्लास्टिक बैग में बंद किया जाना चाहिये। इस बैग को किसी भी परिस्थिति में दुबारा खोलना नहीं चाहिये।
- इसके उपरांत तुरन्त 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं। हाथ धोने से पहले चेहरे को न छुएं इसका ध्यान रखें।
- सफाई कर्मचारियों को तुरंत अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (जैसे फटे हुए दस्ताने) या संगरोधित व्यक्ति के साथ किसी भी करीबी/पर्यवेक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए।

12 (अ० स० कों०)
01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020

पत्रांक – 54/आ.स.चि.

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कौशल किशोर, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य / अधीक्षक,
नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक 05/04/2020

विषय :–जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर एवं अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया को कोरोना के ईलाज हेतु समर्पित (Dedicated) अस्पताल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कोविड–19 के खतरे को देखते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु पूर्व में नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को **(Dedicated)** समर्पित अस्पताल में विकसित किया गया है।

वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या मे सम्भावित तीव्र प्रसार को देखते हुए आपको यह निदेश दिया जाता है कि **अपने–अपने संस्थान को कोरोना के ईलाज हेतु समर्पित (Dedicated)** अस्पताल के रूप में दो दिनों के अंदर विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक तैयारियों के संबंध में विहित प्रपत्र संलग्न है।

COVID-19 के मरीजों के इलाज हेतु संस्थानों में निम्न प्रकार से जिलों की टैगिंग की जाती है–

क्र0	संस्थान का नाम	टैगिंग किये जाने वाले जिले का नाम
1	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	तिरहुत, सारण, दरभंगा, मुंगेर एवं पटना प्रमण्डल के सभी जिले (कैमूर एवं रोहतास को छोड़कर)।
2	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।	मगध प्रमण्डल के सभी जिले तथा कैमूर एवं रोहतास जिला।
3	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर	भागलपुर प्रमण्डल, कोशी प्रमंडल तथा पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिले।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर में ईलाजरत अन्य बिमारियों के गंभीर मरीजों को तत्काल वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा तथा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में ईलाजरत अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों को तत्काल पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में स्थानान्तरित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kaushal 05/4/2020

(कौशल किशोर)
अपर सचिव

C:\Users\Welcome\Desktop\COVID 19\Corona letter & other\20-03-2020 SEC -1 LETTER.docx

ज्ञापांक :– 54/(क्षे.रा.भ.)   पटना, दिनांक :– 05/04/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, स्वास्थ्य विभाग/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kamal 05/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 54 (अ० रा० भ०)   पटना, दिनांक :– 05/04/2020

Copy for kind information to-

1- Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011
2- Smt. Vandana Gurnani, I.A.S, Additional Secretary & Mission Director (NHM).

Kamal 05/4/2020

Additional Secretary

Govt. of Bihar

C:\Users\Welcome\Desktop\COVID 19\Corona letter & other\20-03-2020 SEC -1 LETTER.docx

C:\Users\Welcome\Desktop\COVID 19\Corona letter & other\20-03-2020 SEC -1 LETTER.docx

127/4

Daily reporting Format for CCC & DCHC (to be sent by districts/ MCH to State Health Society Bihar)

Report to be mailed by 3 PM daily

Name of District

Date of Reporting

Number of Isolation Centers Identified in district			Number of Isolation Centers Operationalized	Total No of Beds available in all Isolation Centers	Total No of Beds occupied in all Isolation Centers	Number of Patients admitted in last 24 hours (since last Reporting)	Cumulative Number of patients admitted till Date of Reporting	Number of Patients discharged in last 24 hours (since last Reporting)	Cumulative Number of patients discharged till Date of Reporting	Total Number of Patients Referred to higher Centers	Total number of deaths in last 24 hours in Isolation Centers	Cumulative Number of deaths till Date of Reporting
CCC	DCHC	Total										
a	b	c=a+b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

Signature of Civil Surgeon / Superintendent

Daily reporting Format (to be sent by Dedicated COVID Hospitals)

Report to be mailed by 3 PM daily

Name of District

Date of Reporting

Total No of Beds available for Corona patients			Total No of Beds occupied			Number of Patients admitted in last 24 hours (since last Reporting)	Cumulative Number of patients admitted till Date of Reporting	Number of Patients discharged in last 24 hours (since last Reporting)	Cumulative Number of patients discharged till Date of Reporting	Total number of deaths in last 24 hours in Isolation Centers	Cumulative Number of deaths till Date of Reporting
ICU	Non ICU	Total	ICU	Non ICU	Total						
a	b	c=a+b	d	e	f =d+e	g	h	i	j	l	m

Signature of Superintendent

1152

District reporting form for COVID Care Centre

Date: / /2020 Time: AM / PM

Name of District				
Name of Block				
Name of Covid Care Centre				
Triage room available	Yes		No	
Food services available	Yes		No	
24*7 running water available	Yes		No	
24*7 electricity available (including generator back up)	Yes		No	
24*7 Security Services available	Yes		No	
24*7 Ambulance (BLS) available	Yes		No	
HR section				
Name	Mobile number			
Nodal medical officer				
AYUSH doctors				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
ANMs (total numbers only)				

Signature of Medical Officer:

Checklist for Covid Care Centre

Date: / /2020 Time: AM / PM

Name of District				
Name of Block				
Name of Covid Care Centre				
Triage room available	Yes		No	
Food services available	Yes		No	
24*7 running water available	Yes		No	
24*7 electricity available (including generator back up)	Yes		No	
24*7 Security Services available	Yes		No	
24*7 Ambulance (BLS) available	Yes		No	
Total Number of beds				
Number of beds with single room and attached toilet and bathroom				
Number of beds with single room without attached toilet and bathroom				
Number of beds in dormitory with common toilet and bathroom				
Number of admitted patient on a reporting day				
HR section				
Name	Mobile number			
Nodal medical officer				
AYUSH doctors				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6.	
7.	
8.	
ANMs (total numbers only)	

List of items	Quantity	Remarks
Drugs		
Tab. Paracetamol (500 mg)		
Tab. Hydroxychloroquine (200 mg / 300 mg)		
Oral Rehydration Salt (ORS) Sachets		
Salbutamol inhalers		
Antihypertensives drug		
Antidiabetic drug		
Equipment		
Oxygen cylinder (Type B Cylinder - Regular size) with face mask and tubing		
Oxygen cylinder (Type D Cylinder – Jumbo size) with face mask and tubing		
Pulse oximeter		
BP machine (automated)		
Glucometer		
Thermometer (infrared)		
Thermometer (mercury)		
Consumables		
PPE Kits		
N95 Masks		
3-Ply Surgical masks		
Disposable Non-Sterile Gloves		
Utility gloves		
Personal kit (Toothbrush, Toothpaste, Soap, Shaving kit, Comb, Shampoo, Towel, Glass, Steel plate (Thali))		
Cleaning and Disinfection		
Bleaching powder (in kilogram)		
Detergent powder (in kilogram)		
Toilet cleaners (in litres)		
Hand Sanitizers (in millilitre)		
Biomedical waste bin and bag - Black		

Biomedical waste bin and bag - Yellow		
Biomedical waste bin and bag - Red		
Triage Room		
Pulse oximeter		
BP machine (automated)		
Thermometer (infrared)		
Glucometer		
N-95 masks		
Three ply surgical masks		
Gloves		
PPE kits		
Hand Sanitizer		
Soap		
Records and registers		
BHT		
Stock register		
Referral register		
Reporting format		
BMW register		

Signature of Medical Officer: